कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccf-kanker.cg@gov.in (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./2018/7033 कांकेर, दिनांक/06/10/2018

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

कांकेर वनमंडल

विषय :– **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha.- Regarding Registration No. FP/CG/Other/27773/2017**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग अटल नगर रायपुर/भू–प्रबंध/विविध/115–720/3298 दिनांक 04.10.2018

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको सीधे लेख कर प्रस्ताव मूलतः वापस किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत के दिशा–निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2423 दिनांक 07.09.2018 को प्रेषित किया गया है। नोडल अधिकारी कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियॉ पाई गई है, जो निम्नानुसार है :–

1. कलेक्टर कार्यालय द्वारा वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित प्रमाण पत्र वेब पर अपलोड नहीं किया गया है।
2. वनमंडलाधिकारी द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण के Geo-referenced map एवं Survey of India Toposheet हस्ताक्षरित नक्शा अपलोड नहीं किया गया है।
3. आवेदित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तहत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबधी कलेक्टर कांकेर का प्रमाण पत्र है तथा अनुवर्ती पृष्ठों में ग्राम सभा नवागांव की वन अधिकार मान्यता पत्र संबंधी कार्यवाही विवरण प्रस्ताव में संलग्न है, किन्तु प्रस्ताव के साथ Sub Division Committee का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है।
4. पॉलीटेक्निक निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र Site Specific है। अतः कलेक्टर जिला कांकेर से प्रस्तावित क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें।
5. kml file के परीक्षण में पाया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में निर्माण कार्य दिख रहा है अर्थात वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है। आपके द्वारा उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाये। यदि निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण दिया जायें।

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर अपना स्पष्टीकरण सहित 03 दिवस के भीतर जानकारी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Hsabe

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./2018/7034 **कांकेर, दिनांक/06/10 /2018**

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्त बिन्दुओं की कमियों की पूर्ति कर वनमंडलाधिकारी कांकेर के माध्यम से प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Hsabe

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

D:\D.M. File 2017-18\DM File\Word File\Letter 003 (Short Matter).doc